-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **प्रतिबंधित/नशीली दवाओं की रैपर बदलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कोडीन सिरप की तस्करी करने वाले एक अन्य वांछित अभियुक्त (मुख्य अभियुक्त के जीजा) को थाना बिसंडा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त तस्करों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाए जाने तथा जनपद बांदा को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन ईगल" के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बादा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री कृष्णकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना बिसंडा पुलिस टीम द्वारा प्रतिबंधित व नशीली दवाओं(कोडीन सिरप) की तस्करी करने वाले एक अन्य वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 03.09.2026 को यूपी एसटीएफ व थाना बिसंडा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा करीब 60 लाख 45 हजार कीमत की 250 पेटियों में तीस हजार कोडीन सिरप की शीशी बरामद कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए परिवहन में प्रयुक्त 02 वाहनों को सीज किया था तथा तस्करी गिरोह का मुख्य अभियुक्त प्रियांशु उर्फ किशन फरार/वांछित था जिसे दिनांक 07.09.2026 को थाना बिसंडा पुलिस द्वारा जनपद आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 25.09.2026 को थाना बिसंडा पुलिस द्वारा एक अन्य वांछित अभियुक्त (मुख्य अभियुक्त का जीजा) को मुखबिर की सूचना पर बांदा-चित्रकूट रोड़ पर बदौसा स्टोशन रोड़ तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त हमीरपुर में एक मेडिकल एजेंसी का संचालन करता था तथा उसी के माध्यम से कोडिन युक्त सिरप मंगाया गया था और उसे कूट रचित तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर अतर्रा, बांदा, चित्रकूट व म0प्र0 राज्य के समीपवर्ती जिलो में मेडिकल स्टोर के बजाय नशे के कारोबार में तस्करी के लिये कोडीन सिरप के रैपर को परिवर्तित कर महंगे दामो में सप्लाई व बिक्री किया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रविन्द्र पुत्र शिवराम निवासी बरूआ थाना भरूआ सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रियांशू उर्फ किशन पुत्र मुन्ना लाल निवासी अतर्रा कुशवाहा मैरिज हाल के पास थाना अतर्रा जनपद बांदा। (मुख्य अभियुक्त)
2. धीरेंद्र पुत्र भगवत प्रसाद निवासी ग्राम नहर पुरवा थाना बिसंडा जनपद बांदा।
3. प्रवीण उर्फ लकी पुत्र स्वर्गीय दयाराम निवासी मोहल्ला लखन कॉलोनी अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा।
4. रोहित पुत्र कालू राम निवासी मोहल्ला रामलीला मैदान अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा।
5. शेखर पुत्र राजकुमार उम्र निवासी ग्राम भैना थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 405/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 8/21/22/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष बिसण्डा
2. श्री गौरव मिश्रा चौकी प्रभारी बिलगांव
3. कां0 जितेन्द्र कुमार